

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *15
गुरुवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ, 1945 (शक)

देश में व्याप्त बेरोजगारी

*15. श्री जोस के. मणि:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में व्याप्त बेरोजगारी की सीमा से संबंधित आंकड़े हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“देश में व्याप्त बेरोजगारी” के संबंध में श्री जोस के. मणि द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 20.07.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की व्यक्तियों के अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 5.8%, 4.8%, 4.2% एवं 4.1% थी, जो देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 50.2%, 53.5%, 54.9% एवं 55.2% थी, जो श्रम बल में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 24.5%, 30.0%, 32.5% और 32.8% थी, जो देश में महिला श्रम बल भागीदारी में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जिसमें महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन के लिए दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 02.07.2023 तक, इस योजना के तहत 60.42 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 14 जुलाई, 2023 तक, 50.18 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 07.07.2023 तक इस योजना के तहत 42.29 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर

लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

राज्य सभा के दिनांक 20.07.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	5.3	4.7	4.1	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7	6.7	5.7	7.7
3	असम	6.7	7.9	4.1	3.9
4	बिहार	9.8	5.1	4.6	5.9
5	छत्तीसगढ़	2.4	3.3	2.5	2.4
6	दिल्ली	10.4	8.6	6.3	5.3
7	गोवा	8.7	8.1	10.5	12.0
8	गुजरात	3.2	2.0	2.2	2.0
9	हरियाणा	9.3	6.4	6.3	9.0
10	हिमाचल प्रदेश	5.1	3.7	3.3	4.0
11	झारखंड	5.2	4.2	3.1	2.0
12	कर्नाटक	3.6	4.2	2.7	3.2
13	केरल	9.0	10	10.1	9.6
14	मध्य प्रदेश	3.5	3.0	1.9	2.1
15	महाराष्ट्र	5.0	3.2	3.7	3.5
16	मणिपुर	9.4	9.5	5.6	9.0
17	मेघालय	2.7	2.7	1.7	2.6
18	मिजोरम	7.0	5.7	3.5	5.4
19	नागालैंड	17.4	25.7	19.2	9.1
20	ओडिशा	7.0	6.2	5.3	6.0
21	पंजाब	7.4	7.3	6.2	6.4
22	राजस्थान	5.7	4.5	4.7	4.7
23	सिक्किम	3.1	2.2	1.1	1.6
24	तमिलनाडु	6.6	5.3	5.2	4.8
25	तेलंगाना	8.3	7.0	4.9	4.2
26	त्रिपुरा	10.0	3.2	3.2	3.0
27	उत्तराखंड	8.9	7.1	6.9	7.8
28	उत्तर प्रदेश	5.7	4.4	4.2	2.9
29	पश्चिम बंगाल	3.8	4.6	3.5	3.4
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.5	12.6	9.1	7.8
31	चंडीगढ़	7.3	6.3	7.1	6.3
32	दादरा एवं नगर हवेली	1.5	3.0	4.2	5.2
33	दमन और दीव	0	2.9		
34	जम्मू एवं कश्मीर	5.1	6.7	5.9	5.2
35	लद्दाख	-	0.1	2.9	3.3
36	लक्षद्वीप	31.6	13.7	13.4	17.2
37	पुडुचेरी	8.3	7.6	6.7	5.8
	अखिल भारत	5.8	4.8	4.2	4.1